



F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/ 1049

दिनांक:- 18/09/2021

संशोधन आदेश

Bridge Programme Certificate Course in Community Health for Nurses (BPCCHN) करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/1036 दिनांक 15.09.2021 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	कॉलेज का नाम व पता	कॉलेज का नाम व पता जो पढ़ा जाना है
1	IRSHAD MEM. PERAMEDICAL AND NURSING EDUCATION, A-9 SUNRISE ENCLAVE UNIYARA GARDEN M.D.ROAD JAIPUR	IRSHAD MEM. PERAMEDICAL AND NURSING EDUCATION, A 51-53, VIDYA VIHAR NEAR RTO OFFICE, NEAR AMARA RESORT JAGATPURA, JAIPUR
2	SHRI BAPUJI COLLEGE OF NURSHING, UDAIPUR	SHRI BALAJI COLLEGE OF NURSHING, UDAIPUR
3	ANMTC JAIPUR -I AND ANMTC JAIPUR -II	ANMTC AMARSAR, JAIPUR
4	SANJAY SIKSHA SAMITI, NEAR ASSEMBLY LAL KOTHI, SCHEME, JAIPUR	RUHS NURSHING COLLEGE, PRATAP NAGAR, JAPIUR

(सुधीर कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0

एवं मिशन निदेशक, एनएचएम


F.42(504)/NRHM/-H&WC/CHO-2020-21/ 1049

दिनांक:- 18/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
5. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 सरकार।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. रजिस्ट्रार, आरयूएचएस, जयपुर।
8. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
9. राज्य नोडल अधिकारी, एचडब्ल्यूसी।
10. रजिस्ट्रार, आरएनसी, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, संबंधित जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी संबंधित जिले को आवश्यक सूचनार्थ।

13. सम्बन्धित प्राचार्य/अधीक्षक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर (प्राईवेट नर्सिंग कॉलेज एवं GNMTC तथा ANMTC) को आवश्यक सूचनार्थ।
14. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपस्थिति देने हेतु सूचनार्थ।
15. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


राज्य नोडल अधिकारी,
एचडब्ल्यूसी